संख्याः–पीसीएच–एचए (1) 5/2008–।।– दिशा निर्देश – 48954-49044 (104)
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः–

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

सेवा में,

(1) समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

(2) समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–9 दिनांक , ~~2018~~ 23/8/18

विषयः– हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 30–क के तहत विकासात्मक गतिविधियों हेतु बिजली व पानी की आपूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक इस पत्र में साथ विशेष सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न की जाती है, जिसमें सूचित किया गया है कि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 30–क यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर तीन मंजिलां भवन का निर्माण कर सकता है तथा इस उस व्यक्ति को नगर एवं ग्राम योजना विभाग से योजना अनुमति की छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 के अनुबन्ध–8 में यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित पंचायत के प्रधान मामले से सम्बन्धित राजस्व दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। उक्त नियमों की छायाप्रतियां अनुबन्ध–क पर संलग्न की जाती है।

इस संदर्भ में आगे सूचित किया गया है कि सम्बन्धित पंचायत के प्रधान उक्त नियमों का सही प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं और सरकार के नियमों को दर–किनार किया जा रहा है जिस वजह से प्रदेश में अवैध निर्माण के मामले बढ़ रहे हैं। अगर प्रधान उक्त अधिनियम/नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे तो प्रदेश में अवैध निर्माण के मामले में बढ़ौतरी होगी और भविष्य में यह विकराल रूप धारण कर सकता है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी सूचित करना तर्क संगत होगा कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने समय–समय पर आदेश पारित किए है।

उपरोक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्राधिकारी में पड़ने वाली समस्त पंचायतों को उपरोक्त नियमों का पालन करने बारे दिशा–निर्देश जारी करें।

भवदीय,

निदेशक, पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश।

पृ0 संख्याः– पीसीएच–एचए (1) 5/2008–।।– दिशा निर्देश 49045 शिमला–9 दिनांक 23/8/ 2018

प्रतिलिपिः–

विशेष सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पत्र दिनांक 26.7.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।

~~निदेशक~~, पंचायती राज,
हिमाचल प्रदेश।